उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 37/2021/1388862/12-2099/109/2021
लखनऊ:दिनांक: 02 जुलाई, 2021

अधिसूचना

विविध

भारत सरकार के उदद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से, रेग्युलेटरी तथा कम्पलायन्स बर्डेन को कम करने के लिए,अधिनियमों/नियमों/विनियमों का परीक्षण कर उनकी वर्तमान समय में उपयोगिता के आधार पर समाप्त करने,अथवा, अन्य अधिनियमों/नियमों/विनियमों में मर्ज करने का अनुरोध राज्य सरकारों से किया गया है।

2- उ0प्र0 राज्य विधि आयोग (सातवें) के प्रथम प्रतिवेदन में राज्य के अप्रचलित एवं अनुपयोगी कानूनों के निरसन की संस्तुति के आधार पर, कृषि विभाग के अधिनियम:-

संयुक्त प्रान्त कपास नाशि कीट नियंत्रण अधिनियम, 1936 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11 सन् 1936) को विधायी विभाग की अधिसूचना, उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-10 सन् 2021), दिनांक 09 मार्च, 2021 द्वारा निरसित किया गया है।

3- अपर मुख्य सचिव, औदयोगिक विकास विभाग के पत्र संख्या-1599/77-6-21-एल.सी.-32/15टी0सी0-4, दिनांक 09 जून, 2021 में फेज-2 के अन्तर्गत राज्य सरकार में कुल 475 अधिनियम/नियम/विनियमन निरस्तीकरण हेतु चिन्हांकित हैं, जिनमें निम्नलिखित 02 आदेश कृषि विभाग से सम्बन्धित हैं:-

(1) The U.P. Fertilizer(Distribution) Order,1974

(2) The U.P. Fertilizer(Prices) (Supplementary) Order,1974

4- चूंकि, वर्तमान में, खाद पर अनुदान तथा नियंत्रण भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है, अत: कृषि विभाग के, **The U.P. Fertilizer(Distribution) Order,1974** तथा **The U.P. Fertilizer (Prices) (Supplementary) Order,1974, जिनके द्वारा** राज्य सरकार के जिलाधिकारियों को खाद की दुकानों तथा खाद के मूल्यों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है, अब उत्तर प्रदेश राज्य में अप्रसांगिक हो गये हैं।

5- अतएव सम्यक विचारोपरान्त, श्री राज्यपाल **The U.P. Fertilizer (Distribution) Order,1974** तथा **The U.P. Fertilizer(Prices) (Supplementary) Order,1974 को उत्तर प्रदेश राज्य में निरसित (Repeal) करते हैं ।**

श्री राज्यपाल की ओर से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 37 /2021/1388862(1)/12-2099/109/2021 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
2- प्रमुख सचिव, विधायी विभाग(विधायी अनुभाग-1), उत्तर प्रदेश शासन,
3- निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0, लखनऊ,
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
5- निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उ0प्र0, प्रयागराज को, सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश के असाधारण विधायी परिशिष्ट, भाग-1, खण्ड(क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम) में अधिसूचित करने हेतु,
6- समस्त अपर, कृषि निदेशक/संयुक्त, कृषि निदेशक/उप, कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,
7- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश,
8- समस्त अनुभाग, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
9- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।